

Seventeenth Series, Vol. XXIII No.12

Tuesday, March 14, 2023

Phalguna 23, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Eleventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XXIII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

**Secretary-General
Lok Sabha**

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Jai Mukesh Shukla

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Editor

Pankaj Kumar Singh

Assistant Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XXIII, Eleventh Session, 2023/1944 (Saka)
No. 12, Tuesday, March 14, 2023/ Phalguna 23, 1944 (Saka)**

S U B J E C T**P A G E S****WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**

Starred Question Nos. 181 to 200	10-97
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300	98-756

- (v) Regarding resolution of problems faced by farmers in Rajasthan
Shri P. P. Chaudhary 773
- (vi) Regarding irregularities in the implementation of the PMAY in West Bengal
Dr. Sukanta Majumdar 774
- (vii) Need to resume flight services from Nanded to Mumbai, Amritsar, Chandigarh, Delhi and Hyderabad
Shri Prataprao Patil Chikhlikar 775
- (viii) Regarding increase in salary of Aanganwadi workers in Maharashtra
Shri Ramdas Tadas 776
- (ix) Need to set up a "Khelo India Centre" in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh
Shri Jagdambika Pal 777
- (x) Regarding fixation of cut-off date for qualification of NIOS trained teachers in Bihar
Shri Ajay Nishad 778
- (xi) Regarding refund of money invested in the Sahara Group Industries
Shri Subhash Chandra Baheria 779
- (xii) Need to omit Section 49 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000
Shri Vijay Baghel 780

- (xiii) Regarding extension of Multi-Model Transport System (MMTS) phase-II from Ghatkesar to Jangaon in Telangana
Shri Komati Reddy Venkat Reddy 781
- (xiv) Regarding stoppage of trains at Keeranur Railway station, Pudukottai district, Tamil Nadu
Shri Su. Thirunavukkarasar 782
- (xv) Regarding Human-Animal conflict in Kerala
Shri K. Muraleedharan 783
- (xvi) Regarding opening of rural bank branches in Tenkasi Parliamentary Constituency
Shri Dhanush M. Kumar 784
- (xvii) Regarding healthcare facilities and supportive care for children diagnosed with cancer
Shri S. Jagathrakshakan 785
- (xviii) Regarding pending dues of West Bengal from Central Government under the MGNREGS
Prof. Sougata Ray 786
- (xix) Need to confer Bharat Ratna Award on Jannayak Karpoori Thakur
Shri Chandeshwar Prasad 787
- (xx) Regarding measures for prevention of anaemia among women in the country particularly in Odisha
Shri Bhartruhari Mahtab 788

(xxi) Regarding enhancing the monthly income ceiling limit
in ESIC

Shri N.K. Premachandran

789

(xxii) Regarding appointment of widows of Pulwama
martyrs on compassionate ground

Shri Hanuman Beniwal

790

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions

775

Member-wise Index to Unstarred Questions

776-781

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions

782

Ministry-wise Index to Unstarred Questions

783

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 14, 2023/ Phalgun 23, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या – 181 – श्री अनुभव मोहंती ।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती (केन्द्रपाड़ा) : सर, क्वेश्चन नंबर – 181 । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप प्रश्न काल के बाद बोलिएगा। प्रश्न काल महत्वपूर्ण समय होता है। माननीय सदस्यों को महत्वपूर्ण विषय उठाने की अनुमति होती है।

... (व्यवधान)

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, please get the House in order. ...

(Interruptions) सर, हाउस को ऑर्डर में लाइए। क्वेश्चन नंबर – 181 । ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, प्रश्न काल के बाद बोलिएगा।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती : सर, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्न काल के बाद।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती : सर, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ... (व्यवधान) इसलिए मैं आपसे

विनती करता हूँ कि हाउस को ऑर्डर में लाइए। ... (व्यवधान) प्लीज़ क्वेश्चन ऑवर चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यों, यह सदन आपका है। इस सदन ने सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर हमेशा दिया है। मेरा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप सब सीटों पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर, हर विषय पर चर्चा के लिए दूंगा। आप नियम के तहत नोटिस दीजिए और मैं आपको अलाऊ करूंगा।

... (व्यवधान)

श्री अनुभव मोहंती: सर, क्वेश्चन नंबर – 181 । ... (व्यवधान) Sir, please get the House in order. ... (*Interruptions*) सर, मेरा सवाल है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह तरीका ठीक नहीं है। यह संसद है। मर्यादा रखें। तख्तियां ले कर आना उचित नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यह गलत है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन आपका है। तख्तियां नहीं दिखाएं। अपनी सीटों पर जा कर अपनी बात को बोलें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब विराजें। सदन चले, ऐसी मेरी मंशा है। चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी-अपनी बात रखें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गलत है। माननीय सदस्यों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि सदन की मर्यादा को बनाए रखें।

... (व्यवधान)

*** WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 181 to 200
Unstarred Question Nos. 2071 to 2300)
(Page No. 10 to 756)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

... (व्यवधान)

11.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

14.02 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2 – श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, श्री कृष्ण पाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- 1) (एक) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एण्ड आरएण्डडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9102/17/23]

... (व्यवधान)

14.03 hrs

At this stage, Shri B. Manickam Tagore, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

... (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 29(अ) जो 4 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐजाज अहमद अहंगर उर्फ अबु उस्मान अल-कश्मीरी का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।

(दो) का.आ. 39(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मोहम्मद अमीन खुबाइब उर्फ अबु खुबाइब उर्फ पिन्ना उर्फ मोहम्मद अमीन बट्ट का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।

(तीन) का.आ. 71(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अरबाज अहमद मीर का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप

(निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।

- (चार) का.आ. 104(अ) जो 7 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डॉ. आसिफ मकबूल डार का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (पांच) का.आ. 105(अ) जो 9 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डाला का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (छह) का.आ. 739(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा का नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- (सात) का.आ. 45(अ) जो 5 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में "पासबान-ए-अहले हदीस "शब्दों के पश्चात् "दि रेजिसटेंस फ्रंट एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस "शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (आठ) का.आ. 85(अ) जो 6 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में "तहरीक-ए-फुरकान "शब्दों के पश्चात् "पीपल्स एंटी-फासिस्ट-फ्रंट (पीएफएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस "शब्द अंतःस्थापित किए गए हैं।
- (नौ) का.आ. 738(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जिसके द्वारा जम्मू और कश्मीर गजनवी फोर्स (जेकेजीएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।

(दस) का.आ. 747(अ) जो 17 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसके द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स (केपीएफ) एंड ऑल इट्स मेनिफेस्टेशंस एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची में जोड़े गए हैं।

[Placed in Library, See No. LT 9103/17/23]

(2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी) भर्ती (संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ई-14011/1/2020-एलपीएआई में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9104/17/23]

(4) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम के अंतर्गत "आमेलन/प्रतिनियुक्ति के साथ या बिना प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति/संवर्ग बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति और आमेलन के लिए अध्यादेश-दिशानिर्देश" जो 17 अक्टूबर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 521 में प्रकाशित हुए थे, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9105/17/23]

- (5) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल कॉम्बेटाइज्ड (जनरल ड्यूटी) समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 28 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 907(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9106/17/23]

- (6) (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे
(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9107/17/23]

- (8) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, एनिमल ट्रांसपोर्ट काडर, समूह 'क' (राजपत्रित) और समूह 'ख' (अराजपत्रित) पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 जो 30 जनवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9108/17/23]

... (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी): महोदय, कुमारी शोभा कारानन्दलाजे की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) जम्मू एण्ड कश्मीर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 2015-2016 तथा 2016-17 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9109/17/23]

... (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): महोदय, कुमारी प्रतिमा भौमिक की ओर से, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, फरीदाबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9110/17/23]

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN):

Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy each of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Coastal Aquaculture Authority, Chennai, for the years 2019-2020, 2020-2021 and 2021-2022.
- (2) Three delay statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9111/17/23]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022, along with Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Press Council of India, New Delhi, for the year 2021-2022.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9112/17/23]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2021-2022, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2021-2022.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 9113/17/23]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9114/17/23]

... (व्यवधान)

12.03 hrs**COMMITTEE ON PAPERS LAID ON THE TABLE**102nd to 105th Reports

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2022-23) के 102वें से 105वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूँ।

माननीय सभापति: आइटम नंबर 9, डॉ. मोहम्मद जावेद जी।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: श्री जनार्दन मिश्र जी।

... (व्यवधान)

12.03½ hrs**STANDING COMMITTEE ON RURAL DEVELOPMENT****AND PANCHAYATI RAJ**29th to 31st Reports

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

1. ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 29वां प्रतिवेदन।
2. भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
3. पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

12.04 hrs

**STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND
EMPOWERMENT**

44th Report

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय, मैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों 2023-24' पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 44वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

... (व्यवधान)

12.04½ hrs

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

41st Report

**THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND
MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI):** Sir, I beg to present the
Forty-first Report of the Business Advisory Committee.

12.05 hrs

MOTION RE: 40TH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND

MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Hon. Chairperson, Sir, I beg

to move the following:-

“That this House do agree with the Fortieth Report of the Business
Advisory Committee presented to the House on 13th March, 2023.”

माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

“कि यह सभा 13 मार्च, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 40वें
प्रतिवेदन से सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

14.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में जिनको अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को तुरन्त ही व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दें।

**(i) Regarding resumption of railway services from Goner Phatak
Railway Station**

श्री रामचरण बोहरा (जयपुर): मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय गोनेर फाटक की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत बड़ी का बास (सांगानेर) में स्थित गोनेर फाटक रेलवे स्टेशन पूर्व में संचालित था लेकिन वर्तमान में क्रियाशील नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में स्थित अनेक औद्योगिक इकाइयों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अनेक विकसित कॉलोनिवासियों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः गोनेर फाटक स्टेशन को प्रारम्भ करने की घोषणा कर इस स्टेशन पर पैसेन्जर एवं एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव किया जाये जिससे कि सभी लोगों को रेलवे सुविधाओं का लाभ मिल सके।

* Treated as laid on the Table

(ii) Regarding legislation to guarantee Parja Patta rights for tea and Cinchona garden workers

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The 171st report of the Parliamentary Standing Committee on Commerce has noted that the tea garden workers of Darjeeling hills, Terai and Dooars are exploited and they continue to live a life of servitude under a feudalistic set up. One of the main forms of exploitation is that even 76-years after our Independence, the workers don't have right to their ancestral land. Successive State Governments have refused their rights. The Government of West Bengal is now proposing to give them the same Patta rights that's given to the refugees and landless people. Tea garden and Cinchona garden workers are not landless or refugees. They have their ancestral land. They don't have the Government document related to their land. West Bengal Government is denying them land rights, as they want to allegedly hand over these land to real estate mafia. The Parliamentary Standing Committee has recommended a national law for ensuring land rights to our tea garden and cinchona garden workers. The only way to ensure justice for them is through suitable legislation enacted by Parliament. I request the Union Government to bring a legislation to guarantee Parja Patta rights for our tea and cinchona garden workers on the lines of the Forest Rights Act.

**(iii) Need to set up a post office at Hansaur village in
Sitamarhi distirct, Bihar**

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलसंड थाना के हँसौर ग्राम की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। उक्त हँसौर ग्राम की कुल आबादी चार हजार के करीब है परन्तु, यहाँ डाकघर नहीं है। हँसौर ग्राम का डाकघर तरियानी छपरा में स्थित है जो शिवहर जिले मे पड़ता है तथा इसकी दूरी भी काफी ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं से यहाँ के लोग वंचित हो रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि उपरोक्त विषय पर विचार करते हुये मेरे संसदीय क्षेत्र के सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बेलसंड थाना के हँसौर ग्राम में डाकघर की स्थापना करायी जाये ।

(iv) Regarding insurance claims of farmers under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in Churu Parliamentary Constituency

श्री राहुल कस्वां (चुरु): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2021 के बीमा क्लेम को लेकर, बीमा कंपनियों द्वारा किसानों के साथ किये गए अवांछित व्यवहार की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2021 का बीमा क्लेम, मेरे लोकसभा क्षेत्र के चुरु जिले व हनुमानगढ़ जिले के नोहर, भादरा व रावतसर तहसील के कुछ क्षेत्र में बीमा कंपनी द्वारा राजस्थान सरकार की STAC समिति के निर्देशानुसार अनुपातिक आधार पर जारी कर दिया गया है। बीमा कंपनियों द्वारा गलत क्रॉप कटिंग का मामला राज्य सरकार की STAC समिति के समक्ष उठाया गया। STAC समिति द्वारा हनुमानगढ़ जिले के तहत Case by Case आधार पर बीमा क्लेम जारी किये जाने हेतु बीमा कंपनियों को निर्देशित किया गया, लेकिन चुरु जिले के मामले में समिति द्वारा सीधे ही अनुपातिक आधार पर बीमा क्लेम जारी करने के निर्देश जारी कर दिए गए।

ये क्षेत्र के किसानों के साथ सरासर आपत्तिजनक व्यवहार हैं, क्षेत्र के किसानों में इसे लेकर भारी रोष हैं व किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यह भी अत्यंत विचारणीय है कि राज्य समिति द्वारा दो जिलों के एक समान मुद्दों पर अलग अलग निर्णय किस प्रकार किया गया। क्षेत्र के किसानों द्वारा लगातार अपनी आपत्ति इस मामले को लेकर दर्ज करवाई जा रही है। लेकिन राज्य स्तरीय समस्या निवारण समिति के द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः माननीय कृषि मंत्री जी से अनुरोध है कि इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना अत्यंत ही आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को निर्देशित किया जाये कि वे इस मामले में किसानों के हित को ध्यान में रखकर सभी किसानों को उचित बीमा क्लेम जारी किया जाये।

(v) Regarding resolution of problems faced by farmers in Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): वर्ष 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में राज्य की वर्तमान सरकार द्वारा घोषणापत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद किसानों के सभी ऋणों को पूरी तरह से माफ करने की कार्रवाई करेगी, लेकिन घोषणा के अनुरूप किसानों का ऋण माफ नहीं किया गया।

एक तरफ आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार ने किसान कल्याण में सुधार और कृषि क्षेत्र की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें आय बढ़ाने, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार और फसल बीमा प्रदान करने की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की हैं और दूसरी तरफ राजस्थान राज्य सरकार में किसान पिछले 4 साल से कर्ज न चुका पाने, यूरिया और बिजली की कमी और एमएसपी पर फसल नहीं खरीदने की समस्या से जूझ रहे हैं।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों की समस्याओं को समझा है, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के तहत हर साल देश के लगभग 11 करोड़ किसानों को छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक एकाउंट में मिलती है। राजस्थान के भी लगभग 77 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

इसके अलावा केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया स्वीकृत किया, लेकिन राजस्थान सरकार सही तरीके से आवंटित नहीं कर पायी।

मेरा माननीय कृषि, एवम वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे प्रदेश के राजस्थान के किसानों की ऋण माफी एवं इससे संबंधित किसानों को आ रही समस्याओं पर जांच कर तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को निर्देशित कराये।

(vi) Regarding irregularities in the implementation of the PMAY in West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): There are huge malpractices in PMAY in West Bengal. The Urban Local Bodies in West Bengal did not follow the procedures prescribed for conducting the survey for assessing the demand for housing. The improper survey carried the risk of exclusion of eligible beneficiaries. The eligible persons are deprived from getting the benefit of PMAY in West Bengal due to ruckus created by the workers of a political party in various parts of the State. Sometimes back, one ICDS worker has committed suicide reportedly due to this. Therefore, I urge upon the Government to look into this and send an enquiry committee to assess the ground position and take necessary remedial action to address the problem.

(vii) Need to resume flight services from Nanded to Mumbai, Amritsar, Chandigarh, Delhi and Hyderabad

श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर (नांदेड़): मेरा संसदीय क्षेत्र नांदेड़ हुजूर सचखंड गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है। कोविड के बाद नांदेड़ से दिल्ली और मुंबई तथा अमृतसर/चंडीगढ़ की विमान सेवाएं बंद की गई थीं। तब से अब तक सभी विमान सेवाएं शुरू नहीं की गईं हैं। जबकि अब जन जीवन सामान्य हो चुका है। नांदेड़ से देश ही नहीं विदेश से भी बहुत यात्री विमान सेवाओं का उपयोग करते हैं। मैंने इस बारे में कई बार पत्र लिखकर मांग भी की है लेकिन अभी तक नांदेड़ की वापस विमान सेवाओं को शुरू नहीं किया गया है। जबकि पर्याप्त मात्रा में यात्री भी मौजूद हैं जिससे कि विभाग को अच्छा राजस्व भी प्राप्त होता है।

जनहित में सरकार से मेरी मांग है कि नांदेड़ से मुंबई, अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली हैदराबाद की विमान सेवाओं को पुनः शुरू किया जाये।

**(viii) Regarding increase in salary of Anganwadi workers
in Maharashtra**

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्र सरकार ने 2018 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में कोई वृद्धि नहीं की है, जबकि चार साल में महंगाई दोगुनी हो गई है, इसलिए आंगनवाड़ी सेविका का वेतन 18000 रुपये एवं मदतनीस का वेतन 15000 रुपये होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लागू की जानी चाहिए, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आंगनवाड़ी कर्मचारी बीमा योजना की घोषणा की। केंद्र सरकार ने एक सरकारी निर्णय लिया है जिसे महाराष्ट्र सरकार ने लागू नहीं किया है और इसका लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया। अंत में 400 से अधिक जनसंख्या वाले मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को वृहद आंगनवाड़ी केन्द्रों में परिवर्तित कर तत्काल वृहद आंगनवाड़ी केन्द्रों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है जिसे जल्द स्वीकृत करना चाहिए।

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उपरोक्त सभी मांगों को जल्द से जल्द लागू करवाने का कष्ट करें।

(ix) Need to set up a 'Khelo India Centre' in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा 112 आकांक्षी जिलों में सिद्धार्थनगर की पहचान की गई है। साथ ही मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में समृद्धि और आर्थिक विकास लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हाल ही में, प्रधानमंत्री की दृष्टि और दिशा के तहत, मैंने सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया था जहां बड़ी संख्या में उत्साही खिलाड़ियों ने भाग लिया और खिलाड़ियों ने अपने संबंधित खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके दिखाया। सिद्धार्थनगर खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों द्वारा जिले में एक खेलो इंडिया केंद्र कि मांग कि गई थी। जैसा कि हम जानते हैं केंद्र सरकार अगस्त 2023 तक देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सिद्धार्थनगर जिले में 'खेलो इंडिया' केंद्र स्थापित करने की कृपा करे और इन खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संख्या में कोच और प्रशिक्षक भी नियुक्त करें।

(x) Regarding fixation of cut-off date for qualification of NIOS trained teachers in Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): मैं बिहार में NIOS से प्रशिक्षित शिक्षको को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से प्रशिक्षित मानने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार की जिम्मेवारी दिनांक 31/03/2019 तक प्रशिक्षित करने की थी तो 31/03/2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का परीक्षाफल का प्रकाशन विलम्ब से क्यों किया गया है। इसमें शिक्षकों का क्या दोष है।

इससे बिहार के शिक्षक 31/03/2019 को अप्रशिक्षित माने जा रहे हैं। तो क्यों न प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि को ही परीक्षाफल प्रकाशन की तिथि मानी जाए जिससे शिक्षकों का हित प्रभावित न हों अतः मेरा सरकार से आग्रह होगा कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की जाए।

(xi) Regarding refund of money invested in the Sahara Group Industries

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): बड़ी संख्या में निवेशको को अपना जमा धन परिपक्वता अवधि के बाद भी सहारा इण्डिया से नहीं मिल रहा है। निवेशको ने पैसा सहारा इण्डिया रियल एस्टेट कार्पोरेशन लि., सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में जमा कराया था, सेबी के माध्यम से यह पैसा वापस निवेशको लौटाना था परन्तु सहारा ग्रुप ने इन कम्पनियों में जमा पैसा कागजों में जमाकर्ताओं को लौटाते हुये सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी, सहारा मल्टी परपज सोसायटी एवं सहारा क्यू शॉप में जमा कर लिया। उपरोक्त कारण से सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण सहारा ग्रुप ने जो 24 हजार करोड़ रुपये सेबी में जमा कराये परन्तु सेबी के माध्यम से नाम मात्र का ही भुगतान हो पाया। सेबी और वित्त मंत्रालय के अनुसार निवेशको का पैसा कॉपरेटिव सोसायटियों में जमा है इसलिए सहकारिता मंत्रालय का मामला है। सहारा ग्रुप ने निवेशको का जो पैसा कागजों में लौटाते हुये कॉपरेटिव सोसायटियों में जमा किया है उसका भी भुगतान परिपक्वता पर नहीं कर रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि पैसा सेबी में जमा है तथा निवेशको का पैसा सोसायटी में बाकी है अतः दोनों मंत्रालय मिलकर कोई रास्ता निकाले ताकि लाखों निवेशको का भुगतान हो सके।

(xii) Need to omit Section 49 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000

श्री विजय बघेल (दुर्ग): मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 49 की वज़ह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर परिवारों को (जिसमें मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख व छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख पेंशनर शामिल हैं) आर्थिक स्वत्वों का भुगतान नहीं हो सकता। उन्हें महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार-झारखंड एवम् उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थाई बँटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया। जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें।

(xiii) Regarding extension of Multi-Modal Transport System (MMTS) phase-II from Ghatkesar to Jangaon in Telangana

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): I would like to draw the kind attention of the Government regarding the need to take up the project of extension of Multi-Modal Transport System (MMTS) Phase- II from Ghatkesar to Jangaon in Telangana. Ministry of Railways has already sanctioned the work of extension of MMTS Phase-II from Ghatkesar to Raigiri (Yadadri) for catering to the needs of suburban travel in and around Hyderabad in the year 2016-17 at a cost of Rs. 412.26 crore as cost sharing project with 2/3rd of the funds to be provided by Government of Telangana. However, till now, no funds have been provided by the State Government and people are facing hardships in commuting between Hyderabad and Yadadri. Further, this project needs to be extended up to Jangaon which is a busy sub-urban town in Hyderabad outskirts to provide regular commuter facility for the people of Jangaon, Bhongir and devotees visiting Yadadri temple to Hyderabad. Hence, I request the Hon'ble Minister of Railways, that the MMTS project of Ghatkesar-Yadadri-Jangaon i.e. about 60 kilometers may be fully funded by the Ministry, without insisting for share from the State to meet the aspirations of the people of Telangana.

**(xiv) Regarding stoppage of trains at Keeranur Railway station,
Pudukottai district, Tamil Nadu**

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Keeranur, a Town Panchayat and Taluk Headquarter is located in Pudukottai District, Tamil Nadu. It is the third biggest centre after Pudukottai and Aranthangi. From Keeranur – IIM, Anna University Regional Campus and Bharathidasan University are nearer as compared to Trichy. The railway station at Keeranur is used by about 50,000 people from Keeranur and the surrounding hundred villages. Railways have suspended stoppage of Trichy – Rameswaram Passenger at Keeranur after its upgradation as Express Train whereas stoppage is continuing at smaller stations like Kumaramangalam and Vellanur. As a result, the people are facing lot of difficulties, particularly, the students. Besides, there has been a persistent demand to provide stoppage of Pallvan and Sethu Express Trains at Keeranur. The passengers have to go at least 29 kms. to Tiruchirappalli or 24 kms. to Pudukottai respectively to catch their trains and they are not in a position to spend huge amount of money for their travel.

As the train services are basically meant for the benefit of general public, I humbly urge upon Hon'ble Minister of Railways to kindly take immediate necessary action to provide stoppage of (i) Trichy – Rameswaram (ii) Pallavan and (iii) Sethu Express trains at Keeranur Railway Station.

(xv) Regarding human-animal conflict in Kerala

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): State Chief Wildlife Warden of Kerala recently stated that wild tuskers alone killed 105 persons in Kerala between 2018 and 2022. Almost every day, Kerala is waking up to a new incident of human-animal conflict, mostly involving elephants, tigers, leopards, wild bores and monkeys. This has put farmers, especially in the three most-affected districts, Wayanad, Palakkad, and Idukki in a collision course with the wildlife. The wildlife population in Kerala's forests has exploded in recent years and there is no space left for them despite the "increase in forest cover". A wild-elephant has recently unleashed terror on the residents of the Dhoni village of Palakad and killed a senior citizen on July 8, 2022. On January 12, 2023, a 50-year-old farmer from Wayanad district was killed by a tiger.

Hence, I request the Government that at least some of the tigers and elephants should be captured and relocated to other forests. Solar and bio-fencing around the protected forests and wildlife sanctuaries in the State must be expedited. I request the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to send an expert team to Kerala for finding a permanent solution for human-animal conflict in the State.

(xvi) Regarding opening of rural bank branches in Tenkasi Parliamentary Constituency

SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI): The Banking sector in the country comprising both Nationalized banks and the Reserve Bank of India is controlling our financial system. For the economic development of rural areas in the country, opening of more and more bank branches in rural areas is inevitable. Payments under various Government programmes, like payment of pensions to poor people and old people are made only through bank accounts. Scholarships to students are also given only through bank accounts. For educational loans also, one has to go only to the banks. So, there is a need to open more rural bank branches in Tenkasi Parliamentary Constituency in Tamil Nadu which is predominantly rural based.

Therefore, I urge upon the Government to open more rural bank branches in my Parliamentary constituency of Tenkasi for the sake of the development of the area and to ensure the welfare of the people.

(xvii) Regarding healthcare facilities and supportive care for children diagnosed with cancer

SHRI S. JAGATHRAKSHAKAN (ARAKKONAM): Approximately, 50,000 children are diagnosed with cancer every year in India, and less than 30% are cured in low- and middle-income countries (LMICs) like India. It is predicted that over 9 million deaths will take place in LMICs, and in the next 30 years, around 13.7 million children worldwide will be diagnosed with cancer and a staggering 11.1 million children would succumb to it if adequate attention to health care services and cancer treatment is not paid.

Childhood cancer accounts for around 2-4 per cent of overall cancer in Indian population, and an estimated 15 to 45 per cent of children are cured of cancer in India as compared to more than 80 per cent in high-income countries.

Government should invest and strategically collaborate to ensure that children have access to timely diagnosis, holistic and supportive care including nutrition through their treatment, and support families to complete their child's treatment.

(xviii) Regarding pending dues of West Bengal from Central Government under the MGNREGS

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): West Bengal is being deprived of its dues by the Central Government. The total dues of West Bengal from Central Government amount to more than Rupees One Lakh crore. Of this, the most serious due is regarding the wage component of MGNREGS, which amounts to Rupees 7,3000 crore. As a result of the dues, the State Government is not being able to pay the dues to the landless labourers under the MGNREGS. This is extremely unacceptable even if the Centre has some grievances against the State Government or there are some technical problems. Poor people should not be deprived and these dues should be paid by the Central Government immediately.

(xix) Need to confer Bharat Ratna Award on Jannayak Karpoori Thakur

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए वर्ष 2007, 2017, 2018 और 2019, 2021 में बिहार सरकार ने भारत रत्न के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार से की थी परंतु सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। हर साल केंद्र सरकार द्वारा पद्म सम्मान और भारत रत्न से लोगों को सम्मानित किया जाता है।

इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि इसमें पिछड़े वर्ग और दलित तथा किसान को कितना पद्म सम्मान या भारत रत्न सम्मान दिया गया है।

पिछड़े वर्ग को संगठित करने, उनमें राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक चेतना पैदा करने के लिए कर्पूरी ठाकुर ने जीवनपर्यंत संघर्ष किया। वे किसान गरीब और पिछड़ों के मसीहा थे। उनके हृदय सम्राट थे। ऐसे महापुरुष को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। असली भारत के वे रत्न थे। इन्हें सम्मानित करने से देश के पिछड़े वर्ग और किसान अपने को सम्मानित समझेंगे। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए।

सभी बिहारवासियों और देशवासियों की ख्वाहिश है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से विभूषित किया जाए।

(xx) Regarding measures for prevention of anaemia among women in the country particularly in Odisha

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I want to bring to the notice of the Government the prevalence of anaemia among women in Odisha. The majority of States and Union Territories saw an increase in anaemia among women and children during the past five years, according to NFHS data. In comparison to the national average, the percentage of anaemic women aged 15 to 49 increased by around 4 percentage points, or from 53.1% in NFHS 4 to 57% in NFHS 5. When these figures were taken into account for Odisha, the figures increased significantly. During NFHS-4 to NFHS-5, the State saw a rise of almost 13 percentage points, or from 51% to 64.3%. In order to understand the particular problems affecting the effectiveness of the Central Government's programmes for anaemia prevention in Odisha, I implore the Government to conduct a thorough study. To control these raging rates, the Government must develop a comprehensive plan for the prevention of anaemia in the country, taking into account the ever-rising rates, the Scheme's bottlenecks, the impact of the plan on its results, and the phase-out of redressal mechanisms.

(xxi) Regarding enhancing the monthly income ceiling limit in ESIC

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The wages and salaries of employees were increased due to inflation and price hike. Even though the amount was increased, the living standard of the workers were not improved. As a result of this, the workers were ousted from the benefit of ESI scheme. But the ESIC is not increasing the ceiling limit so as to provide treatment facilities to the workers. Due to this most of the deserving poor workers were not eligible for ESI benefit. The pathetic situation of employees and their dependents were examined and it is reliably learnt that Central Board of ESIC had decided to enhance the existing monthly ceiling of Rs. 21000/- to Rs. 40000/-. The decision of the ESIC is pending with the Union Government.

Hence, I request that immediate action for enhancing the monthly income ceiling limit for availing ESIC to the employees from Rs. 21000/- to Rs. 40000/- be initiated.

**(xxii) Regarding appointment of widows of Pulwama martyrs on
compassionate grounds**

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): मैं केंद्र सरकार का ध्यान पुलवामा हमले में शहीद हुए जांबाजों की वीरांगनाओं द्वारा राजस्थान में किया जा रहे आंदोलन की तरफ आकर्षित करते हुए यह अवगत करवाना चाहता हूं कि पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की वीरांगनाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान में आंदोलित हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री के आवास के सामने जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की इच्छा जाहिर की तो कथित रूप से राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के निर्देश पर पुलिसकर्मियों ने उन वीरांगनाओं का अपमान किया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जिसमें शाहिद रोहिताश लांबा की वीरांगना मंजू जाट घायल भी हो गई थी और पुलिस की कार्यवाही पूर्ण रूप से अनुचित थी बावजूद इसके राज्य सरकार ने उन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की परंतु मैं आपको यह अवगत करवाना चाहता हूं कि अर्ध सैनिक बल केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं ऐसे में देश के लिए शहादत देने वाले जांबाजों के परिवार का सम्मान करना उनकी मांगों का सकारात्मक हल निकालना राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है क्योंकि केंद्र सरकार अर्ध सैनिक वालों के जवानों से जुड़े किसी भी मामले में निर्णय लेने में सक्षम है ऐसे में शहीद वीरांगनाओं की अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य मांगों का सकारात्मक हल केंद्र सरकार के स्तर पर कैसे निकले उसके लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर से करके वहां मौके पर उसे कमेटी को भेजना चाहिए और शहीदों की वीरांगनाओं के साथ वार्ता करनी चाहिए साथ ही केंद्र सरकार को शहीद सैनिकों को दिए जाने वाले पैकेज के अंतर्गत कोई नियम संशोधन करना पड़े अथवा कोई नया प्रावधान जोड़ना पड़े तो उसे जोड़ा जाए साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय को राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों में अर्धसैनिक बलों में राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को देय पैकेज और परिलाभ की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर शहीद परिवार को उनका हक मिले।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सबसे निवेदन है कि अपने-अपने स्थानों पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह आपको शोभा नहीं देता है। बोर्ड लेकर आना आपको शोभा नहीं देता है। आप सभी वरिष्ठ लोग हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.07 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Wednesay, March 15, 2023/Phalguna 24, 1944 (Saka)*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)
